न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रामकुवांर बनाम नाथूलाल वगैरा प्रकरण संख्या – 10/2016 अपील नामान्तरकरण (प्रार्थना पत्र आपत्ति)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17.01.2019	अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी नं. 01 व 02 उपस्थित। प्रार्थना पत्र आपत्ति पर अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी प्रार्थना पत्र आपत्ति द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया की प्रश्नगत निर्णय नामान्तरकरण तहसीलदार बसवा द्वारा पारित किया गया है। जो विवादित है। विवादित नामान्तरकरण की अपील का इस न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नही है। उक्त विवादित नामान्तरकरण की अपील का सुनवाई का अधिकार न्यायालय संभागीय आयुक्त को है। अतः अपील क्षेत्राधिकार में से नही होने से एवं सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा जवाब बहस के दौरान अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया की उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 312 दिनांक 05.06.2009 जो ग्राम पंचायत गुढा आशिकपुरा द्वारा दिनांक 05.06.2009 को तस्दीक किया गया था को न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई द्वारा दिनांक 19.12.2013 को निरस्त करते हुए तहसीलदार बसवा को उभयपक्ष की सुनवाई की जाकर पुनः निर्णय पारित करने के आदेश प्रदान किये। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किये गये प्रश्नगत नामान्तरकरण को तहसीलदार बसवा द्वारा दिनांक 27.01.2016 को सही व उचित मानते हुए ग्राम पंचायत के निर्णय को यथावत रखा गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसवा ने बिना तथ्यो को गौर किये ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजी प्रमाणो के विपरित जाकर निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 312 पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2016 को निरस्त फरमाया जावे। हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 312 दिनांक 27.01.2016 ग्राम भेदाडी गुजरान के सम्बन्ध में पक्षकारान के मध्य विवाद है एवं विवादास्पद नामान्तरकरण की अपील की सुनवाई का अधिकार न्यायालय संभागीय/अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को होने के कारण से प्रार्थना पत्र आपत्ति स्वीकार किया जाकर, इस न्यायालय में विचाराधीन अपील खारिज की जाती है। अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण की अपील सक्षम न्यायालय संभागीय/अतिरिक्त संभागीय आयुक्त मे की जा सकती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 17.01.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। अति० जिला कलेक्टर दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official